न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 134/2019 **दायर दिनांकः 09/09/2019**

उनवान

1. रामभरोसी उर्फ भरोसी बाई आयु 65 वर्ष पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरस्ती

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

— :: आदेश ::—

दिनाकः 25/03/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 254 ख0नं0 432 रकबा 0.81 है0 किता 1 रकबा 0.81 है0 आराजी वादीया एवं कन्हैयालाल, प्रभूलाल पुत्र रामनाथ जाति माली के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादीया का नाम भरोसी बाई के स्थान पर रामभरोसी दर्ज हो रहा है जबकि वादीया का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, व पहचान पत्र में भरोसी बाई हैं जिससे वादीया सरकारी सहायता प्राप्त नही कर पा रही है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम रामभरोसी के स्थान पर भरोसी बाई किया जाना आवश्यक है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व सरपंच प्रमाण पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है।

बिना सहायता न्यायालय वादीया का नाम रामभरोसी के स्थान पर भरोसी बाई दर्ज किया जाना संभव नहीं है यदि वादीया का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नही किया गया तो वादीया को अपने कब्जे काश्त एवं [illegible] के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी तथा वादीया को अनेकों अनेक वाद विवाद में उलझना पड़ेगा। इसलिए वादीया का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर रामभरोसी के स्थान पर भरोसी बाई दर्ज कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जावे इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार वादीया द्वारा बैंक से के0सी0सी. ऋण प्राप्त करने का आवेदन करने पर व बैंक द्वारा वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाने के कारण माननीय न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested

के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम खरखडा रामलोथान तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीया विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे कि:—

(अ) वादीया का वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी ग्राम खरखडा रामलोथान के खाता संख्या 254 का कुल किता 1 का रकबा 0.81 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीया का नाम रामभरोसी के स्थान पर भरोसी बाई दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जर्ये सम्मन की गई , प्रतिवादी को अवसर दिये जाने पर भी जवाब वाद—पत्र पेश न करने के कारण जवाब वाद पत्र बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 व pw2 के बयान लेख बद्ध किये तथा रिकार्ड प्रदर्श करवाये गये।

अभिभाषक गणों की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक गणों द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 254 ख0नं0 432 रकबा 0.81 है में वादिया का नाम राम भरोसी दर्ज है, जो गलत है। राम भरोसी के स्थान पर भरोसी बाई दर्ज किया जावे। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा अटरू, आधार कार्ड, में वादिया का नाम भरोसी बाई दर्ज है।

अतः साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

—::<u>कियात्मक आदेश</u>::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 254 का ख0नं0 432 किता 1 रकबा 0.81 है0 में सहखातेदार राम भरोसी पत्नि मांगीलाल के स्थान पर राम भरोसी उर्फ भरोसी बाई पत्नि मांगीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। [illegible]लदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2021 [illegible] मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:58 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 134/2019

उनवान

1. रामभरोसी उर्फ भरोसी बाई आयु 65 वर्ष पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरस्ती

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 254 का ख0नं0 432 किता 1 रकबा 0.81 है0 में सहखातेदार राम भरोसी पत्नि मांगीलाल के स्थान पर राम भरोसी उर्फ भरोसी बाई पत्नि मांगीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25/03/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)